



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102026-276734
CG-DL-E-03102026-276734

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5071]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 2026/आश्विन 2, 1948

No. 5071]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2026/ASVINA 2, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2026

का.आ. 5278(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि पश्चिम बंगाल राज्य के हावड़ा जिले में NH117 के कि.मी. 0.145 से किमी. 7.337 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/ चार लेन का बनाना/ छह लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3सी की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सक्षम अधिकारी, यानी स्पेशल लैंड अधिग्रहण अधिकारी (हावड़ा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट), हावड़ा, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिस बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर 12, नित्याधन मुखर्जी रोड, हावड़ा, 711 101 को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3सी की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य के हावड़ा जिले में NH117 के कि.मी. 0.145 से किमी. 7.337 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि (आर.एस.प्लॉट) का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: पश्चिम बंगाल			जिले का नाम: हावड़ा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: दोमजुर					
गांव का नाम: निबरा (जे.एल. नं- 51)					
1	R.S. 3429	निजी	एग्रीकल्चर (शाली)	0.016 (एकर)	0.0064751
2	R.S. 3416	निजी	एग्रीकल्चर (शाली)	0.00321 (एकर)	0.0012991
3	R.S. 3420	निजी	एग्रीकल्चर (शाली)	0.002 (एकर)	0.0008094
4	R.S. 3423	निजी	एग्रीकल्चर (शाली)	0.0248 (एकर)	0.0100364
5	R.S. 3424	निजी	एग्रीकल्चर (शाली)	0.0208 (एकर)	0.0084176
6	R.S. 3425	निजी	एग्रीकल्चर (शाली)	0.0231 (एकर)	0.0093484
7	R.S. 3428	निजी	एग्रीकल्चर (शाली)	0.02 (एकर)	0.0080939
8	R.S. 3438	निजी	एग्रीकल्चर (शाली)	0.0011 (एकर)	0.0004452
9	R.S. 3444	निजी	एग्रीकल्चर (शाली)	0.0134 (एकर)	0.0054229
10	R.S. 3483	निजी	एग्रीकल्चर (शाली)	0.0044 (एकर)	0.0017807
तालुक का नाम: बाली जागाछा					
गांव का नाम: उनसानी (जे.एल. नं- 110)					
11	R.S. 287	निजी	नॉन-एग्रीकल्चर (व्यावसायिक आवासीय परिसर)	0.0128429 (एकर)	0.0051975
Total					0.0573262

[फा. सं. NHAI/PIU-KOL/Kona Expressway/NH-117/Vol-03/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2026

S.O. 5278(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four laning/Six laning etc.), maintenance, management and operation of NH117 in the stretch of land from Km. 0.145 to Km. 7.337 in the district of Howrah in the state of West Bengal, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Special Land Acquisition Officer (Howrah Improvement Trust), Howrah, District Level Office Building, Ground Floor 12, Nityadhan Mukherjee Road, Howrah, 711 101 in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description (R.S. plots) of the land to be acquired with or without structures falling NH117 in the stretch of land from Km. 0.145 to Km. 7.337 in the District of Howrah in the state of West Bengal.

State: WEST BENGAL			District: HOWRAH		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Domjur					
Village: Nibra (JL No. 51)					
1	R,S. 3429	Private	Agriculture (Sali)	0.016 (Acre)	0.0064751
2	R.S. 3416	Private	Agriculture (Sali)	0.00321 (Acre)	0.0012991
3	R.S. 3420	Private	Agriculture (Sali)	0.002 (Acre)	0.0008094
4	R.S. 3423	Private	Agriculture (Sali)	0.0248 (Acre)	0.0100364
5	R.S. 3424	Private	Agriculture (Sali)	0.0208 (Acre)	0.0084176
6	R.S. 3425	Private	Agriculture (Sali)	0.0231 (Acre)	0.0093484
7	R.S. 3428	Private	Agriculture (Sali)	0.02 (Acre)	0.0080939
8	R.S. 3438	Private	Agriculture (Sali)	0.0011 (Acre)	0.0004452
9	R.S. 3444	Private	Agriculture (Sali)	0.0134 (Acre)	0.0054229
10	R.S. 3483	Private	Agriculture (Sali)	0.0044 (Acre)	0.0017807

Taluk: Bally Jagachha					
Village: Unsani (JL. No. 110)					
11	R.S. 287	Private	Non Agriculture (Commercial Housing Complex)	0.0128429 (Acre)	0.0051975
Total					0.0573262

[F. No. NHAI/PIU-KOL/Kona Expressway/NH-117/Vol-03/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director